

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ**

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
संख्या 197/2024**

राजेंद्र कुमार उर्फ राजेंद्र यादव और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री यदुवंश मणि सिंह यादव, सुश्री सरोज यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के वाद धारक सुश्री सपना यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान
अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता/482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदकों - **राजेंद्र कुमार उर्फ राजेंद्र यादव और प्रमोद यादव** द्वारा थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 316/2024, धारा 191(2), 193(3), 190, 115(2), 109, 61(2) भारतीय न्याय संहिता और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 5.12.2024 के द्वारा आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

"1. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 316/2024, धारा 191(2), 193(3), 190, 115(2), 109, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 7 दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह अभिकथित है कि पुलिस को सूचना दी गई थी कि प्लॉट पर कब्जे को लेकर लाठी-डंडों व ईंटों से लैस और कुछ अवैध हथियारों से लैस दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल ले जाने के बाद पुलिस ने शोभित यादव और मोनू को पकड़ लिया है। कुछ हमलावर भाग गए हैं। सोनू नामक एक व्यक्ति घायल हो गया था। उनका निवेदन है कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त नामतः सुरेंद्र निषाद को पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि कोई हेतु निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया कि शपथकर्ता सोनू 9.7.2024 को घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। विवेचना अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्तमान आवेदक सहित कुछ व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई है। इस वाद में शपथकर्ता घायल है। उसे तीन चोटें आई हैं और तीन में से दो चोटें आग्नेयास्त्र की हैं जो सह-अभियुक्त मोनू द्वारा पहुंचाई गई हैं।

5. वाद के उपरोक्त पहलुओं, पत्रावली के अवलोकन, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता जो एक घायल गवाह भी है, द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आवेदक विवेचना में सहयोग करने का वचन देता है, तथा सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 के निर्णय पर विचार करते हुए, और वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, आवेदक को धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतरिम संरक्षण प्रदान करना उचित होगा।

6. इस वाद को जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें। इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं।

7. यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को संबंधित विवेचना अधिकारी/थाना प्रभारी की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। आवेदक विवेचना में सहयोग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करेगा और वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. व्यतिक्रम किये जाने पर, अभियोजन पक्ष के लिए इस आदेश को रद्द करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प खुला रहेगा।"

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें दाखिल करने के बाद आवेदकों को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने विवेचना में विधिवत सहयोग किया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि वर्तमान वाद में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदकों ने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वे विचारण में सहयोग करने का वचन देते हैं और यदि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए; आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है; आवेदकों ने न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, साथ ही आवेदकों द्वारा दिए गए इस वचन को ध्यान में रखते हुए कि वे विचारण में सहयोग करेंगे, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 5.12.2024 के माध्यम से दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को सर्वोच्च न्यायालय के सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 के निर्णय के आलोक में पूर्ण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 5.12.2024 में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन के बाद में, अधीनस्थ न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 17, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।